

## AGENCY COPY



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-10-2023

Agency Name.	THE TAJ PLACE
Application No.	70150599121
MoEF/SG File No.	9-HRB047-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	HisarHisar
Amount(in Rs)	197760/-

Amount in Words :One Lakh Ninety-Seven Thousand Seven Hundred and Sixty Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970150599121 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank , ubin0903710@unionbankofindia.bank

ASK 232840019983



11/10/2023

**Subject: NOC for Establishment of The Taj Place (Hotel/Motel with Banquet Facility) in Bearing Khasra no. 35//4/2, 35//5/2, 35//6/1/1, 35//6/2/1, 35//7/1 at Village Dabra, on Hisar Tosham Road MDR-108, at KM 3.608 (LHS) Tehsil & Distt. -Hisar, Haryana. Online proposal no. FP/HR/Approach/150599/2021.**

**हम वचन देते हैं कि निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे।**

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
5. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
6. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
7. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
8. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
9. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
10. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है। -
11. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
12. इसमें से किसी भी शर्त का उलंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of forest (Consevation) Act, 1980 and forest Consevation rules, 2003 (gulidlines & clarifications), 2019 में उलेखित दिशान्दिदेश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
13. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार कि जिम्मेवारी होगी।

शर्जित

Parshant Rapeswal

ATTESTED  
NOTARY, HISAR

20 OCT 2023